संख्या-04/2020/05जी.आई./86-2020-14(सामान्य)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 17 अप्रैल, 2020

विषयः प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करते हुये खनन संक्रिया एवं खनिज परिवहन कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या-40-3/2020DM-I(A) दिनांक-15.04.2020 के माध्यम से जनसामान्य की कठिनाईयों को देखते हुए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों (Select Additional Activities), जिसमें खनिजों के उत्पादन/परिवहन सम्मिलित है, को दिनांक-20.04.2020 से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिन्हित कोविड-19 के हाटस्पाट को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निम्न व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रारम्भ किया जाये:-

1. नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां संचालित की जाये।
2. खनिजों का खनन/परिवहन का कार्य संचालित किये जाने हेतु खनन परिहार धारकों से खदानों में कोविड मैनेजेमेंट के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना प्राप्त किया जाये, जिसमें सोशल डिस्टेन्सिंग, मशीन और कार्मिकों/श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों हेतु व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) की व्यवस्था, प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनेटाइजेशन आदि का उल्लेख हो।
3. वर्तमान में देशव्यापी लाकडाउन के कारण खनिजों की मांग काफी कम है तथा दिनांक-01 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होने वाले मानसून सत्र के दौरान खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में खनिजों का भण्डारण किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए नये भण्डारण अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण आवेदन पत्रों को नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत किया जाये।
4. शासकीय परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खनिजों की मांग के आधार पर खनिज की आपूर्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाये।
5. वर्तमान में दिनांक-22.03.2020 से लाकडाउन के दौरान खनन पट्टों से खनन/परिवहन का कार्य बन्द है। प्रदेश में खनन उद्योग एवं परिहारधारकों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-40(ज) एवं नियम-68 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत माह अप्रैल-2020 की देय किश्त की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जायेगा

http://shasanadesh.up.nic.in

कि माह अप्रैल, 2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार अग्रिम भुगतान प्राप्त की जायेगी।

6. खान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश एवं तत्क्रम में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-04जी0आई0/86-2020, दिनांक 30.03.2020 के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद की परिस्थिति एवं तात्कालिक आश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं एवं आपातकालीन आवश्यकताओं हेतु डी0एम0एफ0 निधि से जिलाधिकारी द्वारा व्यय किया जा सकता है।

3. अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या- (1)/86-2020-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या-02/ एम0-228/2017-खनन नीति(कोविड)/(पअ) दिनांक 15.04.2020 के सन्दर्भ में।

(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in